भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
पर्यावरण एवं वन मंत्रालय
MINISTRY OF ENVIRONMENT & FORESTS

सत्यमेव जयते

क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिम क्षेत्र,
Regional Office, Western Region,
"केन्द्रीय पर्यावरण भवन"
"Kendriya Paryavaran Bhavan
लिन्क रोड नं0–3,Link Road No. 3
E-5, रविशंकर नगर/Ravi Shankar Nagar,
भोपाल ;म0प्र0)/Bhopal-462016 (M.P.)
फोन– 2466525,2463102, 246549[illegible]
तार /Telegram: CENTFOREST
अणुडाक /E-mail: rccfbhopal@gmail.com

क्रमांक: 6-MPB131/2007-BHO/ 4470

दि0 10-12-2007

प्रति,

प्रधान सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
वन विभाग, वल्लभ भवन,
भोपाल (म0प्र0) ।

विषयः देवास जिले के अन्तर्गत 0.583 हे0 वनभूमि नेमावर से देवास इन्ड्रस्ड्रियल वाटर सप्लाय प्रोजेक्ट हेतु मेसर्स एम0ए0के0 प्रोजेक्ट प्रायवेट लिमिटेड को उपयोग पर देने बाबत् ।

संदर्भः 1. इस कार्यालय का पत्रांक 6–एमपीबी131/2007–बीएचओ/4344 दिनांक 23–11–2007
2 मु0व0सं0(भू–प्रबंध),एवं नोडल अधिकारी, म0प्र0 का पत्रांक एफ–5/515/7/10–11/2715 दिनांक 04/12/2007

महोदय,

कृपया मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) मध्यप्रदेश के उक्त विषयक पत्रांक एफ–5/515/07/10–11/1954 दिनांक 20/08/2007 एवं समसंख्यक पत्रांक 2534 दिनांक 13/11/2007 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा–2 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार के अनुमोदन का अनुरोध किया गया था ।

उक्त वनभूमि के उल्लिखित उद्देश्य हेतु प्रत्यावर्तन के लिए, इस कार्यालय के उपरोक्त संदर्भित पत्र (1) द्वारा, उसमें लगायी गयी शर्तों के अधीन, सिद्धान्ततः सहमति दी गयी थी ।

उपरोक्त संदर्भित पत्र (2) द्वारा नोडल अधिकारी, मध्यप्रदेश शासन ने उक्त शर्तों की पूर्ति का अनुपालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है । अतः अधोहस्ताक्षरी द्वारा केन्द्र सरकार की ओर से देवास जिले के अन्तर्गत 0.583 हे0 वनभूमि नेमावर से देवास इन्ड्रस्ड्रियल वाटर सप्लाय प्रोजेक्ट हेतु मेसर्स एम0ए0के0 प्रोजेक्ट प्रायवेट लिमिटेड को वनेत्तर उपयोग के लिये वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा–2 के अन्तर्गत निम्नलिखित शर्तों पर औपचारिक अनुमोदन किया जाता है:–

1. वनभूमि का वैधानिक स्वरूप अपरिवर्तित रहेगा ।

2. वन विभाग द्वारा उपयोगकर्ता के खर्च पर 1.166 हे0 संरक्षित वन, ग्राम वन समिति–रायपुर, तहसील–टोकखुर्द, जिला–देवास पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण किया जायेगा।

...2

3. परियोजना के अन्तर्गत उपयोगकर्ता अभिकरण से प्राप्त समस्त निधि केम्पा (CAMPA) को कार्पोरेशन बैंक, ब्लाक 11, सी0जी0ओ0 काम्पलेक्स, फेस–I, लोदी रोड, नई दिल्ली–110 003 में स्थित खाता संख्या CA 1580 में हस्तांतरित की जायेगी ।

4. पाईप लाईन भूमि सतह से 1 मीटर नीचे बिछाई जायेगी ।

5. वनभूमि का उपयोग प्रस्तावित कार्य के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य के लिए नहीं किया जायेगा ।

भवदीय,

10.12.0

(डॉ0 बी0एन0 मोहन्ती)
मुख्य वन संरक्षक(केन्द्रीय)

प्रतिलिपि :–

1. उप सचिव (एफ.सी.), पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, पर्यावरण भवन, सी.जी.ओ. काम्पलेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली– 110 003.
2. मुख्य वन संरक्षक (भू–सर्वे) एवं नोडल अधिकारी, मध्यप्रदेश वन विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल
3. वनमंडलाधिकारी, (क्षेत्रीय) देवास वनमण्डल देवास, जिला–देवास, मध्यप्रदेश ।
4. प्रोजेक्ट मैनेजर, मेसर्स एम0एस0के0 प्रोजेक्ट प्रायवेट लिमिटेड, 147 कालोनी बाग देवास, जिला–देवास, मध्यप्रदेश ।
5. आदेश पत्रावली ।

(डॉ0 बी0एन0 मोहन्ती)
मुख्य वन संरक्षक(केन्द्रीय)